



सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन
(यांत्रिकी विभाग)
निविदा आमंत्रण

दिनांक:- 21/05/2026

क्रमांक/यांत्रिकी/2026-27/531

प्रति,

.....
.....
.....


कार्य का नाम:- सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित कृषि आवासगृह (नौ-खोली एवं छः खोली) भवन को डिस्मेंटल कर सामग्री उठा कर ले जाने बाबत।
विषय:- निम्नानुसार सूची अनुसार भवन को तोड़ने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित किये जाने बाबत।

संलग्न सूची अनुसार सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित कृषि आवासगृह (नौ-खोली एवं छः खोली) भवन को डिस्मेंटल कर सामग्री उठा कर ले जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। अतः आप अपनी दरे दिनांक 4.06.2026...समय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक/व्यक्तिगत द्वारा कुलसचिव, सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय, यांत्रिकी विभाग, उज्जैन के पते पर भेजने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव के साथ निम्नानंकित प्र-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें-

1. जीएसटी. न.
2. पेन न.
3. धरोहर राशी रु. 5000/- की एफडीआर./डीडी. कुलसचिव, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम।
4. गुमाश्ती / ई-टेंडरिंग रजिस्ट्रेशन

क्र.	कार्य का विवरण	एकमुश्त राशी
1	सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित कृषि आवासगृह (नौ-खोली एवं छः खोली) भवनों को डिस्मेंटल कर सामग्री सहित मलवा ले जाना।/-

साथ ही लिफाफे के ऊपर उपरोक्त कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त निविदा संबंधि जानकारी यांत्रिकी विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।


कुलसचिव
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन



सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

(यांत्रिकी विभाग)

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर स्थित कृषि आवासगृह (नौ-खोली एवं छः-खोली) भवनों को डिस्मेंटल कर सामग्री उठा कर ले जाने हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. डिस्मेंटल कार्य निविदाकार द्वारा मशीन/मेन्थूअल/ब्लास्टिंग से स्वयं के व्यय पर किया जाना होगा।
2. उक्त कार्य करने के पूर्व निविदा राशी विश्वविद्यालय कोष में अनिवार्य रूप से जमा करवाया जाना होगा।
3. डिस्मेंटल कार्य में किसी भी प्रकार के जन-धन की हानि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
4. डिस्मेंटल कार्य कर मलवा शीघ्र उठाकर साईट पूर्ण रूप से साफ करना होगी।
5. डिस्मेंटल कार्य में प्रयुक्त श्रमिक/मशीनरी आदि में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा।
6. डिस्मेंटल का कार्य शिर्ष से प्रारम्भ कर भू-तल की ओर किया जावेगा।
7. ब्लास्टिंग की स्थिती में आस-पास के किसी भी भवन को नुकसान नही हो यह सूनिश्चित करे, जिसकी समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी।
8. डिस्मेंटल से पहले परिसर में नागरिकों की आवाजाही प्रतिबंधित करना सूनिश्चित करेंगे।
9. किसी भी वाद विवाद की स्थिती में न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।


यंत्र

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

हस्ताक्षर

अधिकृत निविदाकर्ता